महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सामान्य/मु.भ./07/2023-24/10664 दिनांक: 14/06/2023

खुली बोली आमंत्रण सूचना

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान घाटगेट, जयपुर के लिए आवश्यकतानुसार कन्जूमेबल सामग्री वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्रय करने के लिए पंजीकृत बोलीदाता/फर्मो से दर आमंत्रित की जाती है। इच्छुक पंजीकृत फर्म/बोलीदाताओं द्वारा अपनी दरें निर्धारित बोली प्रपत्र में भरकर दिनांक 21/06/2023 को दोपहर 01.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त बोली दिनांक 21/06/2023 को अपराह्न 2.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। बोली का अनुमानित वार्षिक मूल्य राशि रूपये 3.00 लाख है। बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि नियमानुसार जमा कराना होगा एवं बोली प्रपत्र शुल्क 500/- नकद/डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। बोली की शर्ते इस कार्यालय में कार्यालय समय में आकर देखी जा सकती है तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार की वेबसाइट "www.dipr.rajasthan.gov.in" एवं कारागार विभाग की वेबसाइट "www.home.rajasthan.gov.in" एवं "www.sppp .rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

क्र. सं.	क्रय सामग्री विवरण	कुल अनुमानित राशि	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्र शुल्क राशि रूपये
1.	कन्जूमेबल सामग्री	3.00 लाख	6,000.00	500/-

UBN No-

14/6

महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सामान्य/मु.भ./क्रय/05/2023-24/10665-70 दिनांक: 14/06/2023
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य..................................।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंडल कार्यालय।
4. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि खुली बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43(6) के अनुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 07 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को निविदा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

<u>बोलीदाता द्वारा घोषणा</u>

(एस.आर.11)

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/सेवा के लिये बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड प्राधिकृत डीलर/डीलर/ विणपन एजेन्ट/सर्विस प्रदाता फर्म/फर्म का प्राधिकृत प्रतिनिधि हूँ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर
बोली की शर्ते

बोली की शर्ते निम्न प्रकार होगीः-

1. खुली प्रतियोगी बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में दी जायेगी।
2. खुली बोली हेतु बोली प्रपत्र दिनांक / /2023 प्रातः 11.00 एएम तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर निर्धारित राशि का शुल्क जमा कराये जाकर प्राप्त किये जा सकते है अथवा विभागीय वेबसाईट www. home.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क राशि के साथ इस कार्यालय में दिनांक / /2023 को दोपहर 1.00 बजे तक वांछित समस्त दस्तावेज, बोली प्रतिभूति राशि के साथ जमा कराने होगें।
3. बोली दाता अपनी बोली दर बोली के आइटमों के सामने ही अंकों एवं शब्दों में अंकित करेंगें तथा इसमें त्रुटि या उपरलेखन (overwriting) नही होना चाहिए। पृथक प्रपत्र में तथा उपरोक्त स्पेशिफिकेशन के अतिरिक्त बोली स्वीकार नही की जावेगीं। अगर बोली दरें उपरोक्त स्पेशिफिकेशन से पृथक दर दी गई तो बोलियां अस्वीकृत की जा सकेगी। बोली के साथ निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा। खुली बोली हेतु वांछित समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियां बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

3(अ). सभी इच्छुक बोलिदाताओं को दो बंद लिफाफो में बोली तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में प्रस्तुत करनी होगी क्वालिफाईग बिड (तकनीकी) में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) क्वालीफाईड बिड (तकनीकी) खुलने की दिनांक से 10 कार्यालय दिवस के अंतर्गत खोली जानी संभावित है। नवीनतम जानकारी के लिए उक्त वैबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।

4. बोली के साथ बोलीदाता द्वारा जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र (इस संबंध में बोली परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 4(ii) देखें) प्रस्तुत करेंगे।
5. समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए।
6. दरों की वैधता-प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।
7. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
8. विस्तृत शर्तो के लिए विभागीय बोली की मुख्य शर्त, सामान्य शर्त एवं अनुलग्नक-अ, ब, स, द का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते है। उक्त मुख्य शर्तो एवं विभागीय बोली तथा अनुलग्नक-अ, ब, स, द में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी।
9. सामान की दरें जी.एस.टी. सहित होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बोली दरें MRP से अधिक नही होगी।
10. बोली दरें दिनांक 31.03.2024 तक मान्य होगी। जिसे विशेष परिस्थितियों में 03 माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

11. सामान मुख्यालय भण्डार तक पहुंचाना होगा जिसका किसी प्रकार का किराया व खर्चा विभाग द्वारा नहीं दिया जावेगा
12. बोली की दरें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार उपापन संस्था का होगा।
13. बोली दाता अपनी बोली दर बोली प्रपत्र के आइटमों के सामने ही अंकित करेंगें। पृथक प्रपत्र में तथा उपरोक्त स्पेशिफिकेशन के अतिरिक्त बोली स्वीकार नही की जावेगीं। अगर बोली दरें उपरोक्त स्पेशिफिकेशन से पृथक दर दी गई तो बोलियां अस्वीकृत की जा सकेगी।
14. बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि प्राप्त नही होने पर बोली पर विचार नही किया जावेगा।
15. रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या का अंकन होना आवश्यक है।
16. क्रय किये जाने वाले सामान की मात्रा घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
17. बोली दाता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री स्पेशिफिकेशन/नमूना के अनुरूप क्वालिटी उचित नही होने पर वापिस लौटायी जा सकेगी जिसे बोली दाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर बदलकर विभागीय स्पेशिफिकेशन अनुसार निर्धारित समय में आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति नही करने की स्थिति में विभाग द्वारा सामान बाजार से क्रय किया जा सकेगा जिसके अंतर की राशि एवं सामग्री के मूल्य के 10 प्रतिशत राशि बतौर पैनल्टी फर्म के लंबित भुगतान/धरोहर राशि से वसूल की जा सकेगी।
18. कन्जूमेबिल आइटम में अंकित क्रम संख्या 1 से 51 तक वर्णित सामग्री के नमूने आवश्यकता पडने पर लिये जासकते है।
19. बोली प्रपत्र के कॉलम संख्या 6 में दर एक ही स्पेशिफिकेशन की दी जानी होगी।
20. विभाग द्वारा अनुमोदित फाईल कवर ही आपूर्ति किये जायेगे, जिसका नमूना उपलब्ध करवा दिया जावेगा। नमूने के अनुसार ही फाईल कवर पर मुद्रित किया जायेगा।
21. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
22. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार उपापन संस्था द्वारा किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकेगा।
23. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।
24. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 तथा वित्त विभाग का नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के प्रावधान यथा आवश्यकता/स्थानानुसार लागू रहेगें।
25. बोली के मूल्यांकन की कसौटी बोली की शर्तो एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार बोली में क्वालीफाईड़ होने पर न्यूनतम कीमत अथवा सर्वाधिक लाभप्रद
26. दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के अध्यधीन होगी। यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामग्री देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
27. कन्जूमेबिल सामग्री में अंकित कम्पनी/ब्राण्ड/मेक का नाम उदाहरण स्वरूप है जिसमें आईटम की स्पेसिफिकेशन एवं उत्तम गुणवत्ता के अनुरूप अन्य समकक्ष कम्पनी/ब्राण्ड/मेक भी हो सकते है।

28. उक्त निविदा का तकनीकी प्रपत्र तथा वित्तीय प्रपत्र अलग–अलग लिफाफे में बन्द कर दोनों के नामांकन किये जाकर एक बडे लिफाफे में सील बन्द कर प्रस्तुत करने होगें। तकनीकी निविदा में सफल फर्म की वित्तीय निविदा खोलने का समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

29. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:–

1. महानिरीक्षक पुलिस (कारागार) राजस्थान, जयपुर
   दूरभाष नं. 0141–2616448 ई–मेल purchasejhq@gmail.com

बोलीदाता के हस्ताक्षर

महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट "अ"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
क्वालीफाईग बोली प्रारूप
तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. कन्जूमेबल सामग्री की दरें प्रस्तुत करने हेतु बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म/ठेकेदार का नाम व डाक का पता व दूरभाष नं...
3. किसको सम्बोधित की गयी। महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. सन्दर्भः- सामान्य/क्रय/मु.भं./05/2023-24/................दिनांकः............
5. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि......................नगद रसीद संख्या........... एवं दिनांक......................./बैंक ड्राफ्ट/डी.डी. संख्या................दिनांक............... के द्वारा जमा करा दी गयी है।
6. फर्म/ठेकेदार के स्वामियों/भागीदारों के नाम व स्थायी पते की सूची संलग्न है। (केवल फर्म की स्थिति में)
7. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संख्या ------------- जो (बैंक का नाम) ----------------------- पर आहरित किया गया है/नकद रसीद संख्या ------------चालान संख्या ----------- दिनांक -------- राशि रूपये --------- संलग्न है।
8. फर्म का जीएसटी/पेन/आधार/सॉप एक्ट 1958 सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है।
9. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र (एस.आर. 11) भी संलग्न है।
10. वर्णित सभी शर्तो मय परिशिष्ट "अ" "ब" "स" "द" व एनेक्चर "A" "B" "C" "D" (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) तथा दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

S.N.	Type of Certificate & Other informations	Yes/ No	Date of issue/ Validity
1.	Whether Bid Document Fee is submitted with Bid. provide details Banker Cheque/ DD no…........… dt…………		
2.	Whether Bid Security submitted with Bid. provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt No…….............… date…..……… amount ……………..		
3.	Whether agreed with all Bid Conditions		
4.	Whether "Parishisht"–D have been signed and submitted with Bid		
5.	Whether GST Registration Certificate is submitted with Bid		

(XII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।

(XIII) हमारे द्वारा वांछित आइटम के एक नमूना/सैम्पल कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर दिये जायेंगें। नमूना/सैम्पल के अभाव में बोली निरस्त योग्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट–"स"

खुली प्रतियोगी बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्ते

नोटः– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रियाः**– बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है ।

2. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ईकाई हेतुः–**

(i) खुली प्रतियोगी बोली विस्तृत आमंत्रण सूचना में अंकित कन्जूमेबिल सामान के क्रम संख्या 5, 9, 11, 13, 14, 19 एवं वित्त विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त "सूक्ष्म" एवं "लघु" उद्यम से क्रय किये जाने के लिए आरक्षित है। आरक्षित उद्यम के अतिरिक्त अन्य बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने पर आरक्षित उद्यम को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। आरक्षित उद्यम से भिन्न बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली की दर का नियमानुसार अनुमोदन किया जावेगा।

(ii) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्मे पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत् वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 1 प्रतिशत देय होगी।

(iv) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप "ख" में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।

(vi) वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित नही की गई वस्तुओं के लिए स्थानीय उद्यमों को कीमत व क्रय अधिमानता प्रदान की जायेगी। उक्त अधिमानता चाहने के क्रम में स्थानीय उद्यम बोलीदाता द्वारा बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रारूप 'क' मय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना उपापन संस्था को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं उपापन संस्था को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन संबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) :–**

(i) कोई भी बोलीदाता जो जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

(ii) राजस्थान स्थित फर्मो द्वारा गत छः माह से अधिक वेट/बिक्रीकर बकाया नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट–'द' एवं अनुलग्नक 'ब' पर अपने हस्ताक्षर उपरान्त साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' हस्ताक्षर करके प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. **दरें :–**

(i) बोली में दरे शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्याकंन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–

(क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकंन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय मय GST दर अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दरें परिशिष्ट "ब" के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें जीएसटी के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट जयपुर के भण्ड़ार में दी जाऐगी।

(v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(vii) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र बजट उपलब्धता पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(x) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(xi) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे ।यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

7. बातचीत (Negotiation) :–

(i) जहॉ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नही की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी:–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

8. बोली की विधि मान्यता:–

दरों की वैद्यता बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

9 अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन उपापन संस्था को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

11. स्पेसिफिकेशन:–

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट "ब" में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलो मे जहॉ कोई स्टैण्डर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओ की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एंव मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात बोलीदाताओ द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

(iv) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट "ब" में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें 05 प्रतिशत तक टोलरेन्स स्वीकार्य है। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

12. **निरीक्षण एवं परीक्षण** :–

(i) (A) "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/आइटम सामग्री का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा ।

(B) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(ii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लाई होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे।

(iii) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नही। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

(iv) परीक्षण प्रभारः– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे । यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।

(v) निरीक्षण प्रभारः– विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी,, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/अनुमोदित निरीक्षण गृहो में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी

(vi) रद्द करना (Rejection):– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा ।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जावे तो विभागीय क्रय समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगें। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी ।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्व विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

13. **माल की सप्लाई** :–

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम

प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR जयपुर मुख्यालय भेजा जाऐगा ।

14. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

15. सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 15 दिवस सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी ।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण उपापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा । यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

16. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्वि एवं पुनरादेश (Repeat Order)

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

17. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन** :–सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

18. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :–**

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लद्यु उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत देय होगी।

(ii) बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राज., जयपुर" के नाम से निम्न रूप में दी जायेगी:–

(अ) नकद रसीद द्वारा या

(ब) नकद– शीर्ष "8443" सिविल निक्षेप– 103– प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ई–ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है। या

(स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी।

19. **करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–**

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में माल के प्रदाय के लिए बोली में अंकित कुल अनुमानित राशि की रकम की नियमानुसार निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं 500 रूपये के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:–

(क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोटः– अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(iv) <u>**कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण**</u> (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):– सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगा:–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से क़रने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य निष्पादन राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

20. बोली लगाने से विवर्जनः–

(i) बोली लगाने वाला राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया जायेगा, यदि वह –

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या

(ख) भारतीय दण्ड़ संहिता 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के किसी अपराध के लिए दोष किया गया है।

उपर्युक्त के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नही होगा।

(ii) किसी बोली लगाने वाले ने आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया गया है तो उपापन संस्था बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी।

(iii) जहॉ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या संपूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

(iv) राज्य सरकार या, यथा स्थिति, उपापन संस्था उपर्युक्त शर्त के अधीन किसी बोली लगाने वाले को तब तक विवर्जित नही करेगी जब तक की ऐसी बोली लगाने वाले को सुनने का युक्तियुक्त अवसर नही दे दिया गया हो।

21. बीमाः–

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाऐगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाऐगी ।

22. भुगतानः–

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गऐ माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे ।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।

(vi) <u>**परिनिर्धारित क्षति**</u> (<u>Liquidated Damages</u>):–

परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10%

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

<u>**नोट**</u> : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी।

23. <u>**वसूलियॉं**</u>:–परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

24. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी होगी।

25. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नही की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा । किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

26. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

27. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

28. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

29. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।

30. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

31. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

32. सामान की आपूर्ति महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर के भण्ड़ार में देनी होगी।

महानिरीक्षक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट "द"

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/जिन आईटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/थोक विक्रेता/सोल वितरक/अधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट/सद्भावी सप्लायर हूँ/हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं द तथा बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है।

मै/हम कारागार विभाग, एवं अन्य किसी भी राजकीय विभाग से ब्लैक लिस्टेड़ नही है। यदि ऐसा पाया जावें तो उसके लिए संबंधित नियमों/कानून के तहत कार्यवाही के लिए सहमत है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

अनुलग्नक 'अ'

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of bidder

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to …………………. for procurement of …………………… in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated ……………. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DG & IG Prisons, Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principle Secretary, Home Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No...........of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal
   :...
   ....
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer
   :...:
   ....
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

परिशिष्ट–"ब"

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ::

:: बोली प्रपत्र ::

कन्जूमेबिल सामान						
क्र. सं.	नाम वस्तु	स्पेशिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	प्रति नग /सैट/ किलो	बोली दर प्रति नग/सैट/ किलो राशि रूपये में	
					अंको में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7
1.	ओडोनिल एयर फ्रेशनर 75 ग्राम	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	400 नग	प्रति नग		
2.	साबुन लाईफबोय 100 ग्राम वजन	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	300 नग	प्रति नग		
3.	फिनाईल गोली 200 ग्राम पैकिंग में	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	300 नग	प्रति किलो		
4.	रूम स्प्रे सभी फ्लेवर 300ML	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	400 नग	प्रति नग		
5.	डस्टबिन प्लास्टिक 66 नं.	"ए" ग्रेड	200 नग	प्रति नग		
6.	पेंसिल सैल	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	600 नग	प्रति नग		
7.	पेंसिल सैल (कोर्डलैस वैल हेतु)	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	100 नग	प्रति नग		
8.	सेल AA 1.5 V LR6	डयूरा या समकक्ष	250 नग	प्रति नग		
9.	प्लास्टिक जग 2 लीटर	"ए"ग्रेड ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	200 नग	प्रति नग		
10.	कॉच सफाई सौल्यूशन 500 एम. एल.	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	300 नग	प्रति नग		
11.	फिनाईल लिक्विड (5 लीटर पीपी/कैन में)	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	200 पीपी/ कैन	प्रति पीपी /कैन 5 लीटर		
12.	फिनाईल लिक्विड (1 लीटर पीपी/कैन में)	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	100 पीपी/ कैन	प्रति पीपी /कैन 1 लीटर		
13.	गिलास कांच के 200 एम.एल.	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	300 नग	प्रति नग		
14.	प्लास्टिक बाल्टी बड़ी 15 लीटर	"ए" ग्रेड़ ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	100 नग	प्रति नग		

15.	वाशिंग पाउडर (1 किग्रा पैकिंग)	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	200 किलोंग्राम	प्रति किग्रा		
16.	चाय ट्रे बड़ी प्लास्टिक	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी मेलामाईन	60 नग	प्रति नग		
17.	चाय ट्रे छोटी प्लास्टिक	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी मेलामाईन	60 नग	प्रति नग		
18.	टॉवल 30"X60" सफेद	बोम्बे डाइंग/ ट्राईडेन्ट/सैन्चुरी	300 नग	प्रति नग		
19.	नेपकीन सभी कलर	बोम्बे डाइंग/ ट्राईडेन्ट/सैन्चुरी	300 नग	प्रति नग		
20.	कपड़े धोने का साबुन 250 ग्राम	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	70 नग	प्रति नग		
21.	गिलास सुपरियर	बोरोसील/भारत/येरा	100 सैट	प्रति सैट 06 नग		
22.	चाय कप बोन चाईना	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	50 सैट	प्रति सैट 06 नग		
23.	टी सैट बोन चाईना	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	50 सैट	प्रति सैट		
24.	मोस्क्यूटो स्प्रे	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	300 नग	प्रति नग		
25.	थर्मस 1 लीटर	सैलो/मिल्टन या समकक्ष	30 नग	प्रति नग		
26.	मोस्क्यूटो किलर लिक्विड़ रिफिल	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	300 नग	प्रति नग		
27.	मोस्क्यूटो किलर मशीन	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	100 नग	प्रति नग		
28.	पायदान छोटे 2X3	जूट के	10 नग	प्रति नग		
29.	पायदान बड़े 4X2	जूट के	10 नग	प्रति नग		
30.	पायदान छोटे 2X3	प्लास्टिक	100 नग	प्रति नग		
31.	पायदान बड़े 4X2	प्लास्टिक	100 नग	प्रति नग		
32.	झाडू पन्नी	उच्च क्वालिटी	300 किलो	प्रति किलो		
33.	झाडू सीक वाली वजन 400 ग्राम प्रति झाडू	उच्च क्वालिटी	500 नग	प्रति झाडू		
34.	फूल झाडू 300 ग्राम प्रति झाडू	उच्च क्वालिटी	150 नग	प्रति नग		
35.	लिक्विड हैण्डवाश सोप बोतल 250 ML	डिटोल/फेम/ लाईफबॉय	300 नग	प्रति नग		
36.	वाईपर कपड़ा लगा हुआ	स्टेण्डर्ड साईज	250 नग	प्रति नग		

37.	वाईपर साधारण	स्टेण्डर्ड साईज	150 नग	प्रति नग		
38.	टॉयलेट ब्रुश	उच्च क्वालिटी	50 नग	प्रति नग		
39.	डी.डी.टी. पाउड़र	उच्च क्वालिटी	50 किग्रा (एक किग्रा प्रति पैकिट)	प्रति किलोग्राम		
40.	टायलेट क्लीनर 500 एमएल	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	500 नग	प्रति नग		
41.	रूम स्प्रे 250 एमएल एम्बीप्योर	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	250 नग	प्रति नग		
42.	लाईजोल फ्लोर क्लीनर 500 एमएल	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	150 नग	प्रति नग		
43.	पोछा (छोटा) (मीडियम) (बडा)	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	700 नग	प्रति नग		
44.	दीवार घडी (31.5"x 31.5")	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	30 नग	प्रति नग		
45.	डॉमेक्स–500 एम.एल.	लेमन फ्लेवर	60 नग	प्रति नग		
46.	नेम प्लेट मय फ्रेम	उच्च क्वालिटी	40 नग	प्रति नग		
47.	छाते–स्टेण्डर्ड साईज	ब्राण्ड़ेड़ एवं उच्च क्वालिटी	40 नग	प्रति नग		
48.	Tissue Paper Napkins	100 नग Tissue Paper Napkins प्रति पैकेट	50 पैकेट	प्रति पैकेट		
49.	Tissue Paper Napkins	50 नग Tissue Paper Napkins प्रति पैकेट	50 पैकेट	प्रति पैकेट		
50.	2 Ply Facial Tissue	कम से कम 100 नग Tissue Paper Napkins प्रति पैकेट	50 पैकेट	प्रति पैकेट		
51.	Disposable Paper cup	250 एमएल क्षतमा के कम से कम 35 Disposable Paper cup प्रति पैकेट	50 पैकेट	प्रति पैकेट		

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय फर्म का नाम व पता